रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140] दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 21, 2015/आश्विन 29, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 128
No. 140] DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2015/ASVINA 29, 1937 [N.C.T.D. No. 128

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

जन शिकायत आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2015

सं. फा.3(548)/2015/ज.शि.आ./प्र.शा. 25479-25493—प्रशासनिक विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, की अधिसूचना संख्या: फा.12/02/2013/AR/6445-6619 दिनांक 11.08.2015 के संदर्भ में श्री एन. दिलीप कुमार ने दिनांक 24.09.2015 (पूर्वाह्न) से जन शिकायत आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में कार्य प्रभार ग्रहण कर लिया है ।

पी. के. त्रिपाठी, अध्यक्ष (ज.शि.आ.) विभागाध्यक्ष

PUBLIC GRIEVANCES COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the 21st October, 2015

F. 3(548)/2015/PGC/Estt. 25479-25493.—In reference to Administrative Reforms, Govt. of NCT of Delhi's Notification No. F.12/02/2013/AR/6445-6614 dated 11.8.2015 Shri N. Dilip Kumar has joined as Part Time Member of Public Grievances Commission w.e.f. 24.09.2015(A/N).

P. K.TRIPATHI, Chairman (PGC) Head of Deptt.

गृह पुलिस (1)/स्थापना शाखा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2015

फा. संख्या / 01 / 05 / 2015 / गृह पु.-I / स्थापना /4566 से 4573.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 20 मार्च, 1974 के अधिसूचना सं. यू -11011/2/74-यू टी एल (i) तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खण्ड (एस) के साथ पठित दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा के खण्ड 10 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निर्देश देते हैं और घोषणा करते हैं कि :—

(क) रेलवे में नई दिल्ली रेलवे नाम से एक नया स्वतंत्र पुलिस उपखण्ड होगा ।

(ख) रेलवे में नई दिल्ली रेलवे उपखण्ड बनने के बाद उपखंडों/थानों का स्थितियाँ इस प्रकार होंगी :-

उपखण्ड के नाम	पुलिस थाना का नाम
पुरानी दिल्ली रेलवे उपखण्ड	1 पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन 2. सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन
नई दिल्ली रेलवे उपखण्ड	1 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 2 हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन 3 आनंद विहार रेलवे स्टेशन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

यशपाल गर्ग, विशेष सचिव (गृह)

HOME POLICE (I)/ESTABLISHMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 21st October, 2015.

F. No. 01/05/2015/HP-I/Estt./4566—4573.—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978) read with clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), and the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11011/2/74-UTL (i) dated the 20.03.1974, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to direct and declare:—

(1) That the New Delhi Railway shall be a new separate independent Police Sub-division in Railways.

(2) That the position of Sub-Division/Police Stations in Railway after creation of Sub-division New Delhi Railway shall be as under:—

Name of Sub-Division	Name of Police Station
Old Delhi Railway Sub-Division	1. Old Delhi Railway Station 2. Sarai Rohilla Railway Station

क्र. सं.	उच्च पदाधिकारी	परिषद् में पद
1	मंत्री प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा	अध्यक्ष, पदेन
2	प्रधान सचिव / सचिव, प्र. एवं त. शि. निदेशालय	उपाध्यक्ष, पदेन
3	श्रीमति भावना गौड. सदस्य, विधान सभा (पालम वि. सभा क्षे. नं. 37)	सदस्य
4	श्री अजय दत्त सदस्य, विधान सभा (अम्बेडकर नगर वि. सभा क्षे.न0 40)	सदस्य

रा. रा. क्षे. दिल्ली सरकार के अधिकारी

5	प्रधान सचिव / सचिव (वित्त)	सदस्य
6	प्रधान सचिव / सचिव (योजना)	सदस्य
7	विशेष सचिव / निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (प्र. त. शि. नि.)	सदस्य
8	निदेशक (शिक्षा)	सदस्य
9	निदेशक (रोजगार)	सदस्य
10	आयुक्त (उद्योग)	सदस्य
11	कुलपति, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (भूतपूर्व दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज)	सदस्य
12	निदेशक, नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (ने. सु. प्रौ. सं.)	सदस्य
13	नियंत्रक, तकनीकी शिक्षा परिषद्, रा. रा. क्षे. दिल्ली सरकार	सदस्य सचिव

उद्योग जगत से मनोनयन

14	पी. एच. डी. चैम्बर ऑफ कामर्स एवं इन्डस्ट्री से एक नामिती	सदस्य
15	भारतीय उद्योग परिसंघ (CII-उत्तरी क्षेत्र) दिल्ली से एक नामिती	सदस्य

स्वशासी / स्थानीय निकाय (संस्था) / निजी सम्बद्ध संस्थाओं / व्यावसायिक संस्थाओं से मनोनयन

16	मुख्य मंडलाधीश अभियंता, लो.नि.वि. (PWD) रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	सदस्य
17	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम	सदस्य

18	अध्यक्ष, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
19	भारतीय मानक ब्यूरो का प्रतिनिधि	सदस्य
20	अभियंता संस्थान, दिल्ली इकाई का प्रतिनिधि	सदस्य
21	महाप्रबंधक, अघरूप प्रशिक्षण एवं विकास केन्द्र, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली	सदस्य

तकनीकी विशेषज्ञ

22	कुलसचिव, गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली	सदस्य
23	निदेशक, प्रशिक्षण, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय या उनका प्रतिनिधि	सदस्य

परिषद के कार्य

परिषद के निम्नवत् कार्य होगें :–

1. परिषद, केन्द्र सरकार या दिल्ली सरकार द्वारा अभियांत्रिकी, भवन–निर्माण, वस्त्र एवं चमड़ा व्यवसाय संबंधी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट की प्रदानगी से सम्बन्धित अथवा किसी दूसरे ट्रेड के सम्बन्ध में परिषद् के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाई गई राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन सी वी टी) की नीतियों का निर्धारण एवं कार्यान्वयन करेगी ।
2. परिषद, राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा पाठ्यक्रम, उपकरण, प्रवेश–माप, पाठ्यक्रम की अवधि और प्रशिक्षण–पद्धति के सम्बन्ध में विनिर्धारित नीतियों और निर्णयों का कार्यान्दयन करेगी।
3. परिषद् व्यवसायिक ट्रेड के लिए राज्य परीक्षा बोर्ड की स्थापना करेगी।
4. परिषद् राज्य में स्थित प्रशिक्षण संस्थाओं/केन्द्रों के तदर्थ अथवा आवधिक निरीक्षण की व्यवस्था करेगी तथा राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
5. परिषद् राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् को उसके कार्यों के सम्बन्ध में सलाह देने हेतु यथा आवश्यक व्यक्ति/व्यक्तियों को सहयोजित करेगी।
6. परिषद, राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निर्धारित अर्हता के अनुसार कार्मिको की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी एवं ऐसे कार्मिक के अनुपलब्ध होने की विशेष स्थिति में अर्हता में छूट प्रदान करेगी तथा स्थिति विशेष को अभिलेखित करेगी।
7. परिषद् यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा परीक्षाओं का सुचारू आयोजन, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निर्धारित ढ़ंग से तथा मानदण्डों के अनुसार हों।
8. परिषद् सफल अभ्यार्थियों के, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट को प्रति हस्ताक्षरित करेगी और जारी करेगी।
9. परिषद् यथावश्यक अतिरिक्त प्रशिक्षण सुविधाओं के प्रावधान की अनुशंसा करेगी और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तैयारी में आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करेगी।
10. परिषद् सरकार को प्रशिक्षण से जुड़ी भिन्न–भिन्न योजनाओं पर होने वाले व्यय के संदर्भ में सुझाव देगी।
11. परिषद् सरकार द्वारा समय–समय पर सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

मनोज कुमार, निदेशक

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 21st October, 2015

F. No.(72)/92-93/Trg.Vol-II/1597.—The Chief Minister of Delhi, is pleased to constitute the State Council for Vocational Training (SCVT) for the National Capital Territory of the Delhi as under, with immediate effect:—

S. No.	Dignitary	Status in the Council
1.	Minister of Technical Education	Chairperson Ex-Officio
2.	Principal Secretary/Secretary, TTE	Vice-Chairperson Ex-Officio
3.	Ms. Bhavna Gaur, MLA (Palam AC No. 37)	Member
4.	Sh. Ajay Dutt, MLA (Ambedkar Nagar AC No. 48)	Member

Official of Government of NCT of Delhi

5.	Principal Secretary/Secy.(Finance)	Member
6.	Principal Secretary/Secy.(Planning)	Member
7.	Special Secretary/Director (TTE)/Addl. Secy.(TTE)	Member
8.	Director(Education)	Member
9.	Director (Employment)	Member
10.	Commissioner (Industries)	Member
11.	Vice-Chancellor, Delhi Technological University (Formerly known as Delhi College of Engg).	Member
12.	Director Netaji Subhash Institute of Technology(NSIT)	Member
13.	Controller, Board of Technical Education, GNCT of Delhi	Member Secretary

Nominees of Industries

14.	A Nominee from PHD Chamber of Commerce & Industries	Member
15.	A Nominee of Confederation of Indian Industries (CII-Northern Region) Delhi	Member

Nominees of Autonomous/Local Bodies /Private Affiliated Institutions Professional Institutions

16.	Engineer-in-Chief, PWD,GNCT of Delhi	Member
17.	Chairperson cum Managing Director, Delhi State Industrial & Infrastructure Development Corporation	Member
18.	Chairperson, New Delhi Municipal Corporation or representative	Member
19.	Representative from Bureau of Indian Standards	Member

20.	Representative from Institution of Engineers, Delhi Unit	Member
21.	General Manager Prototype Training & Development Centre of National Small Industries Corporation Limited, Okhla Industrial Estate, New Delhi	Member

Technical Experts

22.	Registrar, Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Member
23.	Director of Training, Directorate General of Employment & Training (DGE&T) or representative	Member

Functions of Council

The Council will perform the following functions:-

1. The Council will decide and implement the policies of the National Council for Vocational Training (NCVT) with regard to the award of National Trade Certificates in Engineering, Building, Textile and Leather trades and any other similar trades as may be brought within its scope by the Central Government or Government of Delhi.
2. The Council will implement the decisions of and carry out the policies laid down by the National Council for vocational Training in respect of Syllabus, equipment, Scale of accommodation, duration of courses and method of training.
3. The Council will establish State Board Examinations in vocational trades.
4. The Council will arrange for adhoc or periodical inspection of the training Institute/ Centres in the State and ensure that the standards prescribed by the national Council for Vocational Training are being followed.
5. The Council will co-opt, if necessary any person or persons to advice the State Council for Vocational Training in connection with its work.
6. The Council will ensure that the staff is employed according to the qualification prescribed by the National Council for Vocational training and to relax qualification in special circumstances to be recorded, for the trades where such staff is not easily available.
7. The Council will ensure that the examinations are conducted by the State Council for Vocational Training according to the standards and the manner prescribed by the National Council for Vocational training.
8. The Council will countersign and issue the National Trade Certificates to the successful candidates.
9. The Council will recommend the provision of additional training facilities, wherever necessary, and render such assistance in the setting up of additional training programmes as may be necessary.
10. The Council will advise the Government regarding expenditure on different training scheme.
11. The Council will perform any other functions as may be entrusted to it by the Government from time to time.

MANOJ KUMAR, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054